न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–12/19 **दायरा दिनांकः–12/01/2019**

1–रामकिशन
2–उदाराम
3–मदनलाल
} पिसरान श्री चिरंजीलाल अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

..........**प्रार्थीगण**

बनाम्

1– राजाराम
2– इन्द्राज
} पिसरान श्री काशीराम जाति बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3– भगवानाराम
4– गोपीराम
} पिसरान श्री गंगाबिशन अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

5– सुरजाराम वल्द गंगाबिशन फौत

5/1 गुलाबीदेवी पत्नी श्री सुरजाराम

5/2 श्रवणकुमार
5/3 छतुराम
5/4 जयपाल
5/5 लीलादेवी
} पुत्र/पुत्रीयां सुरजाराम अकवाम बिश्नोई साकिनान मानकसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0

5/6 मोहनलाल पुत्र श्री सुरजाराम फौत

5/6–1 शायरी पत्नी श्री मोहनलाल

5/6–2 राकेश कुमार
5/6–3 रमेश कुमार
5/6–4 सुमन
} पुत्र/पुत्रीयां मोहनलाल अकवाम बिश्नोई साकिनान चक 5 पी.पी.एम. पदमपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6– मांगीलाल
7– विनोद कुमार
} पिसरान श्री भोलुराम अकवाम बिश्नोई साकिनान 19 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

8– तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ ।

.... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 8(2) कोलो0 एक्ट व धारा 251 क भू0–राजस्व अधि0

उपस्थित :–

1– सुभाषचन्द्र बिश्नोई अभिभाषक प्रार्थीगण।

2–पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

::– निर्णय –:: दिनांकः– 04.02.2020

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 8 (2) कोलो एक्ट व धारा 251 क भू0–राजस्व अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 2 पी.पी.एम. की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 61/7 के प0 न0 9/4(50) के किला नं. 23/2 में 0.253 है0, 24/1 में 0.240 है0 = 0.493 है0 कमाण्ड, प0 न0 9/5(52) के कि0न0 3, 8, 9/1, 12/1, 13, 18, 19/2, 22/2, 23 = 2.0230 है0 कमाण्ड खाता की कुल 2.516 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा में आने–जाने हेतु व काश्त के लिए प्रार्थीगण प0न0 9/5(52) के किला नं. 10 से होकर मन्जूरशुदा सड़क से अपने खेत में किला नं. 9/2 जो अप्रार्थीगण के नाम है से अपने खेत में काश्त हेतू आते–जाते है। अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेत को नहीं लगता हैं। मन्जूरशुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किला नं. 9/2 अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसलिए न्यायहित में प0 न0 9/5(52) के किला नं. 9/2 में 0.006 है0 उत्तरी पासा गै0मु0रास्ता स्वीकृत किया जावे। जिसकी एवज में प्रार्थीगण किला नं. 9/1 में 0.006 है0 रकबा अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार है। प्रार्थना दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 13/08/2019 को अप्रार्थी सं. 5/6/1 से 5/6/3 बावजूद तामिल सुचना हाजिर नहीं होने एक पक्षीय कार्यवाही की गई व दिनांक 16/12/2019 को वकील प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 ता 4, 5/1 ता 5/5, 6, 7 को रजिस्ट्रड नोटिस जो दिनांक 19/10/2019 को भेजे थे कि रसीद पेश की अप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई बावजूद रजिस्ट्रड सूचना हाजिर नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार की रिपोर्ट आने पर बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि राजस्व तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 2 पी.पी.एम. की जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 61/7 के प0 न0 9/4(50) के किला नं. 23/2 में 0.253 है0, 24/1 में 0.240 है0 = 0.493 है0 कमाण्ड, प0 न0 9/5(52) के कि0न0 3, 8, 9/1, 12/1, 13, 18, 19/2, 22/2, 23 = 2. 0230 है0 कमाण्ड खाता की कुल 2.516 है0 कमाण्ड खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त रकबा में आने–जाने हेतु व काश्त के लिए प0न0 9/5(52) के किला नं. 10 से होकर मन्जूरशुदा सड़क से अपने खेत में किला नं. 9/2 जो अप्रार्थीगण के नाम है से अपने खेत में काश्त हेतू आते–जाते है। अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेत को नहीं लगता हैं। मन्जूरशुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किला नं. 9/2 अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसलिए न्यायहित में प0 न0 9/5(52) के

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

किला नं. 9/2 में 0.006 है0 उत्तरी पासा गै0मु0रास्ता स्वीकृत किया जावे।जिसकी एवज में प्रार्थीगण किला नं. 9/1 में 0.006 है0 रकबा अप्रार्थीगण को देने के लिए तैयार है।

बहस का मनन किया गया पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट कमांक/राजस्व/रास्ता/119 दिनांक 14/01/2020 से स्पश्ट अंकित है कि प्रार्थीगण के खातेदारी रकबा में जाने के लिए प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। व स्वीकृत किये जा रहे रास्ता में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं है व अप्रार्थीगण भी सहमत है। इसलिए काश्तकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व अप्रार्थीगण के रकबा को पूर्ण करते हुए न्यायहित में रास्ता दिया जाना उचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 2 पी.पी.एम. के प0न0 9/5(52) के किला नं. 9/2 में 0.006 है0 उत्तरी पासा पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत किया जाता है जो अप्रार्थीगण के नाम से कलमजन कर गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे व जिसकी एवज में प्रार्थीगण के खाता से प0न0 9/5 के किला नं. 9/1 में 0.006 है0 पश्चिमी पासा उत्तर से दक्षिण रकबा अप्रार्थीगण के नाम मुताबिक हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना में तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ के नाम अलग से पत्र जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.02.19 16:37:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: